कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश
होशंगाबाद रोड़, भोपाल–462011

क्रमांक 2307 /ना.तौ./अ–1(1)प्रवर्तन/2011 भोपाल, दिनांक: 08.–07–11

––:: आदेश ::––

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 48 (3) सहपठित म.प्र. विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के नियम 23 (2) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं एस.के. जैन, नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान समस्त निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान को नीचे लिखी शर्त के अध्यधीन, फेरीवाले/साप्ताहित बाजार के विक्रेताओं के विरुद्ध दर्ज अपराध प्रकरण का उपरोक्त नियम 23 (1) में अपेक्षा अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर धारा 48 के प्रावधानों अनुसार, मौके पर शमन किये जाने हेतु अधिकृत करता हूँ।

शर्त :–अपराध शमन किये जाने के पश्चात दस कार्यकारी दिवसों में शमन किये जाने की लिखित सूचना अपने सहायक/उप नियंत्रक को समस्त अभिलेखों एवं विवरण सहित प्रेषित करेंगे।

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान
मध्यप्रदेश, भोपाल
फो.न. 2551017

पृ.क्रमांक 2308/ना.तौ./अ–1(1)प्रवर्तन/2011 भोपाल, दिनांक: 08–07–11

प्रतिलिपि :–

1– संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय।

2– समस्त उप/सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। अपने अधीनस्थ निरीक्षकों से उपरोक्त प्राधिकार के अन्तर्गत शमन किये गये प्रकरणों की लिखित सूचना समयावधि में प्राप्त होने पर प्रकरण समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही की जाये। प्रकरण समाप्त किये जाने के आदेश जारी न होने की दशा में प्रकरण लंबित माना जायेगा एवं प्रेषित किये जा रहे अभियोजन प्रतिवेदनों में ऐसे प्रकरण लंबित दर्शाये जायेंगे। इस प्राधिकार का सही उपयोग हो रहा है इस बावत् वे समय–समय पर आवश्यक जॉच आदि भी करते रहे। अनियमितता की दशा में इस कार्यालय को विवरण अभिलेखों सहित भेजेंगे।

3– समस्त निरीक्षक, नाप–तौल, (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। वे अभियोजन प्रतिवेदन में उपरोक्त निर्देशों अनुसार लंबित प्रकरणों की जानकारी देंगे, अपने उप/सहायक नियंत्रक, को ऐसे प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा चाही आवश्यक जानकारीयॉ भी समय सीमा में उपलब्ध करावेंगे।

नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान
मध्यप्रदेश, भोपाल